Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. 2012/E(Trg)/12/17

New Delhi, dt. 13.08.2014
RBE NO. 88/2014

The General Managers
All Indian Railways/PUs

The Director General
NAIR/Vadodara
RDSO/Lucknow

The Directors
IRISET/Secunderabad
IRICEN/Pune
IRIEEN/Nasik
IRIMEE/Jamalpur
IRITM/Lucknow
JRRPF/Lucknow

Sub: Policy regarding participation of Indian Railways Personnel in Meditation/Yoga/Spiritual and other related programmes

Ref: (i) Board's letter no. 2012/E(Trg)/12/17 dt. 17.07.2012
(ii) Board's letter no. 2012/E(Trg)/12/17 dt. 26.10.2012
(iii) Board's letter no. 2012/E(Trg)/12/17 dt. 20.09.2013

Railway Board, vide circulars mentioned above, has issued policy regarding participation of Indian Railways personnel in Meditation/Yoga/Spiritual and other related programmes. It has now been decided to bring out a comprehensive policy circular regarding the above.

2. Following instructions may be followed:

i) Special Casual Leave (SCL) upto a maximum of nine (09) days inclusive of four (04) days journey time would be allowed **once in a year for one such programme,** which would be granted by the respective Controlling officers to willing employees;
ii) Special pass (as per entitlement) would be given **once in a year** to such Railway employee who has been granted SCL by the Controlling officer;
iii) No TA/DA would be payable;
iv) No programme fee would be payable by Railways; and
v) The official willing to participate in such programmes would be spared subject to the convenience of the Administration.

3. Strict compliance to the above directives may be ensured by all concerned.

4. This supersedes all previous instructions/circulars on the subject.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board.

(Padma Sharma)
Dy. Director(Training)
Railway Board

No. 2012/E(Trg)/12/17 New Delhi, dt. 13 .08.2014

Copy to:

1. PPS/Secretary/Railway Board
2. G(Pass Branch)/RB – for issue of special passes to willing personnel from Railway Board.
3. FE(Spl.), Cash-I, Cash-III for information.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi
5. The General Secretary, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi
6. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi
7. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi
8. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi
9. The Secretary, RBSS Group 'A' Association, Room No.372, New Delhi
10. The Secretary, RBSS Group 'B' Association, Room No.423, New Delhi
11. All Members, Departmental Council and Secretary Staff Side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi
12. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony, New Delhi
13. RBCC, for updating on website.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17

नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014
आरबीई सं. 88/2014

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक
एनएआईआर/वडोदरा
अ.अ.मा.सं./लखनऊ

निदेशक
इरिसेट/सिकन्दराबाद
इरिसेन/पुणे
इरीन/नासिक
इरिमी/जमालपुर
आईआरआईटीएम/लखनऊ
जेआरआरपीएफ/लखनऊ

विषय: मेडिटेशन/योगा/आध्यात्मिक तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भारतीय रेल के कार्मिकों के भाग लेने के संबंध में नीति।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 17.07.2012 का पत्र सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17
(ii) बोर्ड का दिनांक 26.10.2012 का पत्र सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17
(iii) बोर्ड का दिनांक 20.09.2012 का पत्र सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17

रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त परिपत्रों के तहत मेडिटेशन/योगा/आध्यात्मिक तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भारतीय रेल के कार्मिकों के भाग लेने से संबंधित नीति जारी की है। अब, उपुर्यक्त के संबंध में एक विस्तृत नीति परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

2. निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए:

i) **ऐसे कार्यक्रम के लिए वर्ष में एक बार** चार (04) दिनों की यात्रा अवधि सहित अधिकतम (9) दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी जो इच्छुक कर्मचारियों के संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी;
ii) ऐसे रेल कर्मचारियों, जिन्हें उनके नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान कर दिया गया हो, को **वर्ष में एक बार** विशेष पास (पात्रता के अनुसार) दिया जाएगा;
iii) कोई टीए/डीए देय नहीं होगा
iv) रेलवे द्वारा कोई कार्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा और
v) ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक पदाधिकारियों को प्रशासन की सुविधा के अनुसार स्पेअर किया जाएगा।

3. सर्व संबंधितों द्वारा उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

4. इससे उपर्युक्त विषय पर सभी पूर्व अनुदेशों /परिपत्रों का अधिक्रमण होता है।

5. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

पद्मा शर्मा

(पदमा शर्मा)
उप निदेशक(ट्रेनिंग)
रेलवे बोर्ड

सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17 नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान निजी सचिव/ सचिव/ रेलवे बोर्ड
2. जी(पास शाखा)/ रेलवे बोर्ड - रेलवे बोर्ड के इच्छुक कार्मिकों को विशेष पास जारी करने के लिए
3. एफई(स्पेशल), रोकड़-I, रोकड़-III को सूचनार्थ
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
5. जनरल सेक्रेटरी, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
7. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
8. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली
9. सेक्रेटरी, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' एसोसिएशन, कमरा नं. 372, नई दिल्ली
10. सेक्रेटरी, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' एसोसिएशन, कमरा नं. 423, नई दिल्ली
11. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे इंपलाइज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कालोनी, नई दिल्ली
13. आरबीसीसी, वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए